

कार्यालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरु (राज.)

क्रमांक: 43

दिनांक: 19.12.2024


-: कार्यालय आदेश :-

चूरु न्याय क्षेत्र में राजकीय अवकाशों के दौरान बेल, रिमाण्ड एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिए जनवरी, 2025 के लिये निम्न प्रकार से ड्यूटी लगाई जाती है:-

-: माह जनवरी, 2025 :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम अधिकारी	मोबाईल नंबर	ड्यूटी दिनांक
1.	शिवानी	अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट, (चूरु)	81683-19771	01.01.2025
2.	विकास गजराज	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुजानगढ़, जिला (चूरु)	82338-89051	05.01.2025
3.	निधि बेनिवाल	न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर, जिला (चूरु)	70239-90686	11.01.2025 व 12.01.2025
4.	अजयदीप सिंह	न्यायिक मजिस्ट्रेट, तारानगर(चूरु)	98722-41173	19.01.2025
5.	लीलूराम सिहाग	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ़ जिला (चूरु)	94149-50921	25.01.2025 व 26.01.2025

1. इन राजपत्रित अवकाशों के अलावा अन्य कोई राजकीय अवकाश घोषित हो जाने पर घोषित अवकाश के दिवस को बेल, रिमाण्ड एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिए समस्त चूरु न्यायक्षेत्र के लिए **अजयदीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, तारानगर** की ड्यूटी लगायी जाती है।
2. यदि संबंधित मजिस्ट्रेट अथवा संबंधित लिंक मजिस्ट्रेट उपलब्ध हों तो उनसे भी बेल, रिमाण्ड एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिए आदेश प्राप्त किया जा सकता है।
3. उपरोक्त आदेश में सामान्य तौर पर परिवर्तन नहीं किया जायेगा परंतु अत्यावश्यक कार्य होने पर संबंधित अधिकारी को अन्य न्यायिक अधिकारी से सहमति प्राप्त करके प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में रिमांड ड्यूटी का परिवर्तन करने पर विचार किया जायेगा।
4. इस आदेश को पूर्व कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से आगामी कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक प्रभावी माना जायेगा।



मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरु (राज.)

क्रमांक: 1434

दिनांक:- 19.12.2024

प्रतिलिपि निम्न की सूचनार्थ:-

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, चूरु को सादर।
2. पुलिस अधीक्षक, चूरु को समस्त थानाधिकारियों के लिये सूचनार्थ।
3. जिला आबकारी अधिकारी, चूरु को समस्त आबकारी वृत्तों के लिये सूचनार्थ।
4. उपरोक्त न्यायिक अधिकारियों को जरिये ई-मेल।
5. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, चूरु को न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. कार्यालय आदेश।
7. रक्षित पत्रावली।


19.12.24.
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरु (राज.)